

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
वर्तमान राशनकार्डधारकों की जानकारी के नवीनीकरण हेतु
(केवल AAY/ BPL/ JRC/ RCRC कार्डधारियों के लिए)

आवेदक
का
फोटो

- 1 पुराने राशनकार्ड की श्रेणी(कटेगरी)(कोई एक चिन्हित [√] करें)- AAY/ BPL/ JRC/ RCRC
- 2 पुराना राशन कार्ड न. ----- 3. मोबाईल न.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. परिवार की वरिष्ठतम महिला का नाम -----
5. राष्ट्रीयता ----- 6..व्यवसाय -----
7. पूरा पता(यदि राशनकार्ड से भिन्न है) -----

8. परिवार की कुल वार्षिक आय -----
9. सदस्यों का पूर्ण विवरण(प्रथम कालम में परिवार की वरिष्ठतम महिला का विवरण दें)अधिक सदस्यों के लिए अतिरिक्त शीट का प्रयोग करें।

क. सं.	नाम	लिंग म./पु.	जन्म तिथि DD/MM/ YYYY (दि/म/वर्ष)	माता का नाम	पिता/पति का नाम	मुखिया से संबंध	आधार न. (यदि आधार न. नहीं मिला है तो ई.आई.डी. नम्बर भरें)
1						स्वयं	
2							
3							
4							
5							
6							
7							

10. **संलग्न दस्तावेज:-**(क)प्रत्येक सदस्य के आधार संख्या/ई.आई.डी. की प्रति (ख) स्थाई पते का प्रमाण(यदि आधार/राशन कार्ड के पते से भिन्न है)
(ग)स्थायी पते का बिजली का बिल

घोषणा:-मैं शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचना सही है:-

1. मैं भारतीय नागरिक हूँ।
2. मैं और उपरोक्त सदस्य स्थायी रूप से दिल्ली में रहते हैं एवं इनके नाम उपरोक्त राशन कार्ड के अलावा दिल्ली या किसी अन्य राज्य के उपभोक्ता कार्ड में नहीं है।
3. मैं अपने कार्ड का प्रयोग विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुएं प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करूंगी।
4. मेरे परिवार के किसी सदस्य के पास चार पहिए या इससे अधिक पहिए वाला वाहन नहीं है।
5. मेरे घर पर दो किलोवाट से अधिक का बिजली का कनेक्शन नहीं है।
6. मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है।
7. मैं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम कोई जमीन या घर एमसीडी के A से E श्रेणी की कॉलोनी में नहीं है।
8. मैं या मेरे परिवार को कोई सदस्य केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय/केन्द्र या राज्य की स्वायत्त संस्थाओं इत्यादि में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है।
9. मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सूचना झूठी या गलत पाए जाने पर मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन सजा की जिम्मेवार होऊंगी व किसी भी गलत सूचना के दिए जाने पर सजा या जुर्माना तथा उपभोक्ता कार्ड के निरस्त किए जाने की स्वयं जिम्मेदार होऊंगी।
10. मेरी या मेरे परिवार के उपरोक्त सदस्यों की यू.आई.डी.ए.आई. में संकलित सूचना प्रयोग में ली जा सकती है।

निर्देश:-

हस्ताक्षर/ निशानी अंगूठा (महिला मुखिया)

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड" परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के नाम से बनेगा।
2. यदि आप AAY/BPL/JRC/RCRC श्रेणी में से किसी से संबंधित है तो आप इस योजना में शामिल किए जाने के पात्र हैं। विस्तृत जांच के पश्चात् आपका फार्म स्वीकृत किया जाएगा।
3. इस प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरकर संलग्न दस्तावेजों के साथ, संबंधित मंडल कार्यालय(राशन दफ्तर) में जमा करवायें।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा उपभोक्ता कार्ड हेतु आवेदन -पावती)

फार्म नं.

मंडल कार्यालय संख्या.....

श्रीमति -----से दिनांक -----को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के अन्तर्गत

उपभोक्ता कार्ड हेतु प्रपत्र प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर(काउन्टर सहायक)